

प्रारंभिक परीक्षा

ऑपरेशन सिंदूर

संदर्भ

पहलगाम आतंकी हमलों के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया।

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में -

- पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया।
- सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया।
- खुफिया सूचना पर आधारित वायु सेना के हमलों में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के 4, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के 3, हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) आतंकवादी समूहों के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया।
- पाकिस्तान में लक्ष्यों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल थे।
- **प्रभाव**→
 - **आतंकवाद विरोधी रुख**: सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जवाब देने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया।
 - **संयुक्त सेना विश्वसनीयता**: सटीक हथियारों का उपयोग करते हुए सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन किया गया।
 - **पाकिस्तान को रणनीतिक संकेत**: पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में बढ़े बिना एक संतुलित किन्तु कड़ा संदेश दिया गया।
 - **वैश्विक धारणा प्रबंधन**: केवल आतंकी शिविरों को लक्ष्य बनाकर भारत को आनुपातिकता बनाए रखने वाले एक जिम्मेदार देश के रूप में पेश किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- **इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया?**→ सिंदूर, विवाहित हिंदू महिलाओं की निशानी है और यह 22 अप्रैल के पहलगाम नरसंहार का संदर्भ है, जिसमें नवविवाहितों सहित पुरुषों को आतंकवादियों द्वारा उनके धर्म के आधार पर मार दिया गया था।

स्रोत: [The Hindu: India launches 'Operation Sindoor'](#)

FTA और दोहरा अंशदान कन्वेंशन समझौता

संदर्भ

भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते(FTA) तथा दोहरे अंशदान कन्वेंशन समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है।

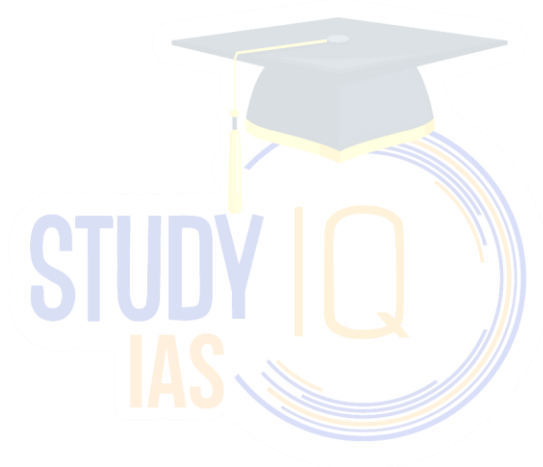
FTA क्या है?

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जिसके तहत अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है।
- इसका उद्देश्य गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देना तथा आपसी निवेश को बढ़ावा देना भी है।
- **भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का अवलोकन -**
 - **टैरिफ में कटौती:** भारत 90% ब्रिटिश वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती करेगा, जिसमें व्हिस्की (एक दशक में 150% से 40% तक) और ऑटोमोबाइल (100% से 10% तक) पर महत्वपूर्ण कटौती शामिल है।
 - **शुल्क-मुक्त पहुंच:** ब्रिटेन को भारत द्वारा किए जाने वाले 99% निर्यात, जैसे वस्त्र, खाद्य और आभूषण, शुल्क-मुक्त हो जाएंगे, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्रों को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा।
 - **दोहरा अंशदान समझौता:** यह ब्रिटेन में अस्थायी रूप से तैनात भारतीय कामगारों को तीन वर्ष तक राष्ट्रीय बीमा अंशदान (या सामाजिक सुरक्षा प्रणाली) का भुगतान करने से छूट देता है, और इसके विपरीत,
 - ये पेशेवर विदेश में रहने के दौरान भारत के ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के अंतर्गत कवर रहेंगे।
 - जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं।
- **प्रभाव:**
 - **आर्थिक प्रभाव:**
 - **व्यापार वृद्धि:** FTA से 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में प्रतिवर्ष £25.5 बिलियन (\$34 बिलियन) की वृद्धि होने की उम्मीद है।
 - **क्षेत्रीय लाभ:**
 - **भारत:** वस्त्र, परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स तक पहुंच में वृद्धि।
 - **ब्रिटेन:** व्हिस्की, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और एयरोस्पेस घटकों के लिए बेहतर बाजार प्रवेश।
 - **भू-राजनीतिक प्रभाव:**
 - **रणनीतिक साझेदारी:** FTA भारत और यूके के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, तथा व्यापार, निवेश और गतिशीलता में सहयोग बढ़ाता है।
 - **ब्रेक्सिट के बाद की रणनीति:** ब्रिटेन के लिए यह समझौता ब्रेक्सिट के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ से परे व्यापार संबंधों में विविधता लाना है।
 - **वैश्विक व्यापार स्थिति:** भारत स्वयं को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार कर्ता के रूप में स्थापित करता है, तथा अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए ऐसे समझौतों का लाभ उठाता है।

तथ्य -

- भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख देश: श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया (2022), यूएई (2022), मॉरीशस (पहला अफ्रीकी देश), आसियान और EFTA।

स्रोत: [The Hindu: India, U.K. conclude 'mutually beneficial' Free Trade Agreement](#)



मुल्लापेरियार बांध

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 125 वर्ष पुराने मुल्लापेरियार बांध के रखरखाव को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान निकालने के लिए राजनेताओं की नहीं, बल्कि विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

मुल्लापेरियार बांध के बारे में -

- **अवस्थिति:** थेक्कडी, इडुक्की जिला (केरल)।
- **स्वामित्व एवं प्रचालन:** तमिलनाडु (यद्यपि यह केरल में स्थित है) में सिंचाई और जलविद्युत प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- **नदी:** मुल्लायार और पेरियार नदियों का संगम
- **इससे संबंधित मुद्दे:**
 - इसकी सुरक्षा और जल स्तर प्रबंधन लंबे समय से विवाद और कानूनी लड़ाई का विषय रहा है।
 - 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन केरल ने तब से बांध को हटाने और एक नए बांध के निर्माण पर जोर दिया है।
 - दूसरी ओर, तमिलनाडु का लक्ष्य सुदृढ़ीकरण उपायों को पूरा करना तथा 152 फीट के मूल स्तर को बहाल करना है।



पेरियार नदी -

- **उत्पत्ति:** तमिलनाडु में शिवगिरी पहाड़ियाँ।
- **मुख्य सहायक नदियाँ:** मुथिरापुझा, मुल्लायार, चेरुथोनी और पेरिजनकुट्टी
- **मार्ग:** पेरियार राष्ट्रीय उद्यान (केरल)।
- **महत्व:** केरल की सबसे लंबी नदी (अपने बारहमासी प्रवाह के कारण इसे "केरल की जीवन रेखा" भी कहा जाता है)।

यूपीएससी पीवाईक्यू

वर्ष 2022 प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए

जलाशय	राज्य
घटप्रभा	तेलंगाना
गांधी सागर	मध्य प्रदेश
इंदिरा सागर	आंध्र प्रदेश
मैथन	छत्तीसगढ़

- (a) केवल एक
(b) सिर्फ दो
(c) केवल तीन
(d) सभी

उत्तर: (c)

स्रोत: [The Hindu](#): SC: Experts should resolve Mullaperiyar

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना

संदर्भ

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "कैशलेस उपचार" योजना शुरू की।

योजना के प्रमुख प्रावधान -

- **वित्तीय सहायता:** दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करने पर सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक के उपचार खर्च को कवर किया जाएगा।
- **प्रतिपूर्ति तंत्र:** मोटर वाहन दुर्घटना निधि के माध्यम से अस्पतालों को उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- **उपचार पैकेज:** पीड़ित आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई पैकेज के तहत आघात और बहु-आघात देखभाल का लाभ उठा सकते हैं।
- **सार्वभौमिक कवरेज:** सड़क के प्रकार की परवाह किए बिना सभी मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं पर लागू।
- **कार्यान्वयन निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की देखरेख करेगा।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) प्लेटफॉर्म योजना की ट्रैकिंग और कार्यान्वयन में सहायता करेगा।
- **अनुग्रह मुआवजा:** हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- **कानूनी समर्थन:** यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत अनिवार्य है, जो दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सुनिश्चित करती है।

योजना की आवश्यकता -

- **बढ़ती मृत्यु दर:** भारत में 2010 से 2021 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 15% की वृद्धि देखी गई, 2024 में 1.8 लाख मौतें दर्ज की गईं - जिनमें से 66% 18-34 वर्ष की आयु के थे।
- **गोल्डन ओवर केयर:** पहले घंटे के भीतर समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप से मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है।
- **वित्तीय बोझ कम करना:** उच्च चिकित्सा लागत के कारण अक्सर पीड़ितों के लिए आवश्यक उपचार में देरी होती है या उसे रोका जाता है।
- **मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया:** डिजिटल उपकरणों के एकीकरण से दुर्घटना रिपोर्टिंग और अस्पताल समन्वय में सुधार होता है।
- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लक्ष्य:** यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक के तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

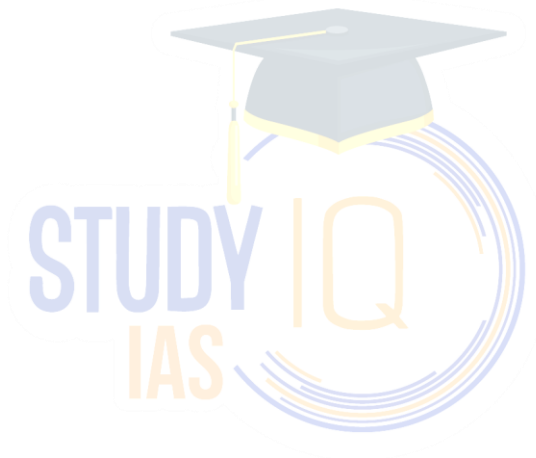
स्रोत: [The Hindu: Cashless treatment scheme for road accident victims](#)

समाचार संक्षेप में

ऑपरेशन संकल्प

समाचार? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में करेगुट्टा पहाड़ियों के पास चल रहे ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ में 15 से अधिक नक्सली मारे गए।

- **उद्देश्य:** मुख्य माओवादी नेतृत्व और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, विशेष रूप से पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की बटालियन 1 को नष्ट करना, जो 2010 के ताड़मेटला नरसंहार जैसे बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार है।
- **लक्ष्य:** मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को समाप्त करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करना।
- **पैमाना:** इसमें लगभग 24,000 सुरक्षा कर्मियों को शामिल किया गया है, जिसमें कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिज़ोल्यूट एक्शन), डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जैसी विशिष्ट इकाइयां शामिल हैं।



संपादकीय सारांश

सिविल सेवाओं के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

संदर्भ

सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल) पर पार्श्व प्रवेशकों (lateral entrants) के महत्व और शासन में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है।

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका -

- **प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करना:** सिविल सेवक राजनीतिक संक्रमण के दौरान शासन को बनाए रखते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन या चुनाव।
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना:** वे सभी स्तरों पर निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की सहायता करते हैं।
- **नीति निर्माण एवं सलाह:** संस्थागत स्मृति और प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाते हुए राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करना।
- **सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन:** विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की निगरानी करना।
- **संकट एवं राहत प्रबंधन:** आपदा प्रतिक्रिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में केंद्रीय भूमिका निभाना।

मेरिट बनाम स्पाइल्स प्रणाली -

- **मेरिट प्रणाली:** स्वतंत्र निकायों (जैसे, यूपीएससी) द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियाँ, जिससे तटस्थता और पेशेवर क्षमता सुनिश्चित हो।
 - इसकी शुरुआत 1858 में भारतीय सिविल सेवा से हुई।
- **स्पाइल्स प्रणाली:** राजनीतिक निष्ठा के आधार पर नियुक्तियाँ; इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई (1883 से पहले)। यह व्यावसायिकता और तटस्थता को कमजोर करता है।

सिविल सेवाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ -

- **राजनीतिक तटस्थता का क्षरण:** नियुक्तियों और निर्णयों में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप निष्पक्षता को कमजोर करता है।
- **सामान्य पूर्वाग्रह:** कैरियर नौकरशाहों के बीच डोमेन विशेषज्ञता की कमी जटिल तकनीकी मुद्दों के प्रभावी संचालन में बाधा डालती है।
- **भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव:** भ्रष्टाचार सभी स्तरों पर मौजूद है, तथा प्रायः समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती।
- **प्रक्रिया-उन्मुख संस्कृति:** परिणामों और प्रभाव के बजाय प्रक्रियाओं और अनुपालन पर अत्यधिक ध्यान।
- **परिवर्तन के प्रति धीमा अनुकूलन:** नवाचार, डिजिटल शासन और सहभागी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिरोध।

सिविल सेवाओं को मजबूत करने के लिए सुधार -

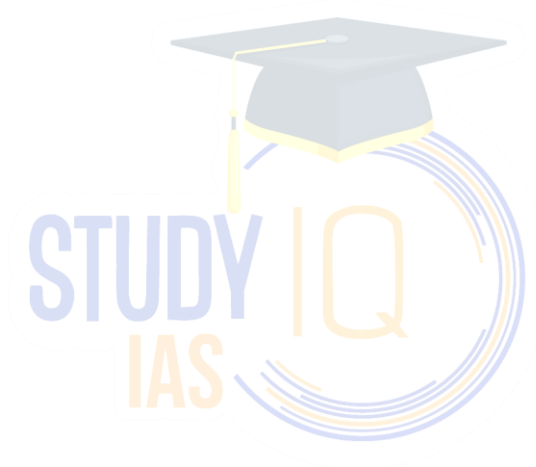
- **राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा:** निश्चित कार्यकाल और पारदर्शी स्थानांतरण/तैनाती नीतियाँ सुनिश्चित करना।
 - कैडर प्रबंधन के लिए सिविल सेवा बोर्डों को सशक्त बनाना।
- **प्रक्रिया की अपेक्षा परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करना:** इनपुट/आउटपुट से निगरानी को प्रदर्शन-आधारित परिणामों की ओर स्थानांतरित करना।
 - शासन मूल्यांकन के लिए डेटा और प्रभाव आकलन का उपयोग करना।

- **विशेषज्ञों का पार्श्व प्रवेश:** तकनीकी और प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए वरिष्ठ स्तर पर डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती करना।
 - समग्र निर्णय लेने के लिए सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के बीच संतुलन।
- **नैतिक पुनर्संरचना:** सत्यनिष्ठा प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना और सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाना।
 - मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन सुधार:** वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अधिक वस्तुनिष्ठ और 360°-आधारित बनाना।
 - पदोन्नति और नियुक्ति को प्रदर्शन संकेतकों से जोड़ना।

निष्कर्ष -

भारत की सिविल सेवाएँ लोकतंत्र के कामकाज के लिए केंद्रीय हैं। हालाँकि, 21वीं सदी की गतिशील शासन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन्हें अधिक व्यावसायिकता, पारदर्शिता और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है। राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करना और सुधार को अपनाना उनकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: [The Hindu: What are the challenges faced by the civil services?](#)



आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में विभाजन

संदर्भ

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में विभाजन को उजागर कर दिया है तथा यह भी उजागर किया है कि जब भी पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर की स्थिरता के लिए खतरा महसूस होता है तो वह आतंकवाद पर निर्भर हो जाता है।

इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **आतंकवाद पर कूटनीतिक अलगाव:** भारत को कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का सामना करने से बचता है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं और जवाबदेही के प्रयास कमजोर होते हैं।
- **कश्मीर पर वैश्विक अनिच्छा:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है, जिससे पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन हासिल करने के भारत के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है और इसकी कूटनीतिक क्षमता सीमित हो जाती है।
- **संयम बरतने का दबाव:** भारत पर कठोर सैन्य प्रतिक्रिया से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, विशेष रूप से परमाणु वृद्धि के जोखिम के कारण, जिससे पाकिस्तान के सीमापार आतंकवाद के खिलाफ उसके आतंकवाद विरोधी प्रयास जटिल हो रहे हैं।
- **आतंकवाद के लिए जवाबदेही का अभाव:** आतंकवाद की चुनिंदा निंदा, विशेष रूप से हिंदू विरोधी हमलों की अनदेखी, दोहरे मापदंड को उजागर करती है, जो सीमा पार आतंकवाद के लिए वैश्विक जवाबदेही की मांग करने की भारत की क्षमता को सीमित करती है।

आगे की राह -

- **संप्रभुता सुनिश्चित करना:** आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के प्रयास, संयम बरतने के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान से बाधित नहीं होते हैं।
- **सामरिक स्वायत्तता:** आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक साझेदारी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो एकतरफा कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
- **वैश्विक नेतृत्व:** भारत को धार्मिक घृणा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मजबूत मामला बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिए।

स्रोत: [The Hindu: The fragmentation in the global fight against terror](#)

गलत सूचना और नकारात्मक प्रभाव के खिलाफ भारत की लड़ाई

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि भारत गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रति विश्व के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- एआई-जनित विषय-वस्तु और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनियंत्रित और भ्रामक सूचनाओं को तेजी से बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं।
- डी-इम्प्लुएंसिंग, जिसमें प्रभावशाली व्यक्ति खरीदारी को हतोत्साहित करते हैं, सचेत उपभोग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अक्सर सनसनीखेज और क्लिकबेट पर निर्भर करता है, जिससे तथ्य और हेरफेर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

भारत में गलत सूचना को खत्म करना क्यों जरूरी है?

- **लोकतंत्र के लिए खतरा:** गलत सूचना निर्वाचित सरकारों की वैधता को अस्थिर कर सकती है तथा मतदाताओं को प्रभावित करके और समाज में ध्रुवीकरण करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकती है।
- **सामाजिक सद्भाव खतरे में:** झूठी सूचना सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक संघर्ष और यहां तक कि हिंसा को बढ़ावा देती है, जैसा कि व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों के कारण भीड़ द्वारा हत्या जैसी घटनाओं में देखा गया है।
- **आर्थिक व्यवधान:** हेरफेर की गई कहानियां बाजारों को बाधित कर सकती हैं, निवेशकों के विश्वास को खत्म कर सकती हैं, और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, जिससे 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देश में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा:** स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी (जैसे, COVID-19 टीके) संकटों के प्रभावी जवाब में बाधा डालती है, दहशत फैलाती है और जीवन को खतरे में डालती है।
- **विश्वास का क्षरण:** बड़े पैमाने पर फर्जी खबरों के कारण मीडिया, संस्थाओं और सार्वजनिक सूचना में विश्वास कम हो जाता है, जिससे आपात स्थितियों के दौरान अधिकारियों के लिए संवाद करना कठिन हो जाता है।
- **युवा संवेदनशीलता:** भारत की बड़ी, युवा और डिजिटल रूप से सक्रिय आबादी विशेष रूप से जोखिम में है, जिससे डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच आवश्यक हो गई है।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** लगातार गलत सूचना भारत की स्थिर लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और इसकी वैश्विक साझेदारी में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

कानूनी और नियामक परिदृश्य -

- **संवैधानिक अधिकार:** अनुच्छेद-19(1)(a) मुक्त भाषण की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद-19(2) मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए प्रतिबंध की अनुमति देता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गलत सूचना या हानिकारक विषय-वस्तु को संरक्षण नहीं देती है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और भ्रामक प्रचार के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाता है।
- **आईटी अधिनियम (धारा 66 और 67), मध्यस्थ दिशानिर्देश 2021:** हानिकारक डिजिटल सामग्री को दंडित करने और प्लेटफार्मों को गलत सूचना को नियंत्रित करने और हटाने की आवश्यकता है।
- **एससीआई/सेबी दिशानिर्देश:** प्रभावशाली मार्केटिंग के लिए नैतिक मानक निर्धारित करें; अनुपालन न करने पर ब्लैकलिस्टिंग और सार्वजनिक फटकार हो सकती है।

चुनौतियाँ और अंतराल -

- **स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचना:** दिशा-निर्देशों के बावजूद, भ्रामक स्वास्थ्य सलाह और वायरल "वजन घटाने" वाली रीलों बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं, जिनमें अक्सर चौंकाने वाली रणनीति और आधे-अधूरे सच का इस्तेमाल करके वायरल किया जाता है।
- **अस्पष्ट रेखाएं:** प्रभावशाली लोगों की विषय-वस्तु में प्रायः प्राकृतिक राय और सशुल्क प्रचार का मिश्रण होता है, तथा दर्शकों को प्रभावित करने के लिए चुनिंदा डेटा और भावनात्मक अपील का उपयोग किया जाता है।
- **नियामक कमियां:** भारत में फर्जी खबरों से निपटने के लिए विशेष रूप से व्यापक कानून का अभाव है, तथा वर्तमान कानून केवल मौजूदा कानूनों पर ही निर्भर है।

हालिया और विकासशील उपाय -

- **सख्त प्रवर्तन:** सेबी ने "वित्तप्रभावकों" पर नियमों को कड़ा कर दिया है, तथा अयोग्य वित्तीय सलाह को रोकने के लिए शैक्षिक सामग्री में वास्तविक समय स्टॉक डेटा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फिनफ्लुएंसर(finfluencer) वह व्यक्ति होता है जो अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े दर्शकों के साथ वित्तीय सलाह और जानकारी साझा करता है।

- **माता-पिता की सहमति:** मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के तहत नाबालिगों के सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी, जिसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाना है।
- **तथ्य-जांच पहल:** प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य-जांच इकाई, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग गलत सूचनाओं का पर्दाफाश करने और खतरों की निगरानी के लिए किया जाता है।
- **न्यायिक निगरानी:** न्यायालयों ने झूठे समर्थन के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तथा इस बात पर बल दिया है कि केवल योग्य पेशेवरों को ही स्वास्थ्य संबंधी सलाह देनी चाहिए।
- **वैश्विक संरेखण:** भारत से बेहतर निगरानी के लिए यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के समान रूपरेखा अपनाने का आग्रह किया गया है।

प्रमुख उदाहरण -

- **पहलगाम आतंकी हमला:** विभाजनकारी ऑनलाइन सामग्री में वृद्धि हुई, जिससे तत्काल नियामक जांच की आवश्यकता हुई तथा हिंसा भड़काने वाले प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
- **कानूनी मिसालें:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रभावशाली व्यक्ति को किसी ब्रांड का अपमान करने से रोक दिया तथा निर्णय दिया कि स्वास्थ्य संबंधी सामग्री को घोषित साख वाले योग्य पेशेवरों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- **उल्लेखनीय विवाद:** इलाहाबादिया मामले ने डिजिटल निगरानी पर बहस को फिर से छेड़ दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः सेंसरशिप के बिना संरचित विनियमन का आग्रह किया।

सिफारिशें और आगे की राह -

- **पंजीकरण और निगरानी:** सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य प्रभावितों के लिए एक डेटाबेस स्थापित करना।
- **उपभोक्ता शिक्षा:** ब्रांडों को उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में निवेश करना चाहिए, जबकि प्लेटफॉर्म और नियामक गलत सूचना के खिलाफ सख्त दिशानिर्देश लागू करते हैं।
- **नैतिक मानक:** सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मजबूत नैतिक प्रथाओं को कानूनी उपायों का पूरक होना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी सामग्री में।

- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** सरकार, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और जिम्मेदार सामग्री निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

स्रोत: [The Hindu: Power and pitfalls of digital influence](#)

